न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 380/2018

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी।

—: प्रार्थी

बनाम

भेरा पिता धनजी कीर निवासी कुमजी का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86

निर्णय

दिनांकः 30/7/2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी ने पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की खाता संख्या 1 के सर्वे नम्बर 5291 रकबा 0.30 हे0 किस्म— रास्ता भूमि श्रीसरकार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में गिली आम की लकड़ी का ढ़ेर पाया गया। जो मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा श्री भेरा पिता धनजी कीर निवासी कुमजी का पारड़ा द्वारा एकत्रित करना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी भेरा पिता धनजी कीर निवासी कुमजी का पारड़ा द्वारा बिना अनुमति के आम का हरा पेड़ कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति के आम का पेड़ कांटे जाने के कम में पटवारी हल्का बोरी एंव भू—अभिलेख निरीक्षक बोरी द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख/लकड़ी सुपुर्दगीनामा आदि प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री भेरा पिता धनजी कीर निवासी कुमजी का पारड़ा के नाम सम्मन जारी किये जाने तथा सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी के उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी हल्का एंव भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख की नकल/लकड़ी सुपुर्दगीनामा का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री भेरा पिता धनजी कीर निवासी कुमजी का पारड़ा द्वारा पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की खाता संख्या 1 के सर्वे नम्बर 5291 रकबा 0.30 हे0 किस्म— रास्ता भूमि में ग्राम बोरी के अन्य सर्वे नम्बर में कांटी गई आम की गिली लकड़ी एकत्रित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलघंन किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को हरे आम का पेड़ बिना अनुमति के कांटने के फलस्वरूप 100/— रू0 के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करातें हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार लकड़ी की किमत रू0 5,000/— (अक्षरे रूपये पॉच हजार) में सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी के माध्यम से लकड़ी की निलामी कराई जाकर अन्तिम बेालीदाता को लकड़ी सुपुर्द कराई जाकर (यदि लकड़ी अन्यत्र ले जाई जानी है तो सम्बन्धित बोलीदाता को वन विभाग से नियमानुसार परिवहन की स्वीकृति पृथक से प्राप्त करने निर्देशित किया जाकर) जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष में जमा करातें हुऐ पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करें।